**संख्या- 03 /2021/897/22-4-2021-48(9)/10**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 18 जनवरी, 2021

विषय- जनपद मुरादाबाद में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि पर विद्यमान फलदार वृक्षों की मूल्यांकित धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18873/नम-2/67/भाग-4, दिनांक 29.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जनपद मुरादाबाद के ग्राम सिरस खेड़ा में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि पर विद्यमान फलदार वृक्षों की मूल्यांकित धनराशि हेतु रू0 2,59,18,489/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 2,59,18,489/- (रूपया दो करोड़ उनसठ लाख अट्ठारह हजार चार सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 भूमि पर विद्यमान परिसम्पत्यिों के मूल्यांकन की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2021 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-97/दस/2021, दिनांक-13 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-**03**/2021/897(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।